

**Amateur Shooting Ball Association का आदर्श 'संगम ज्ञापन'**

क्र. सं.	विषय	वर्णन
1	एसोशिएसन का नाम	<b>Amateur Shooting Ball Association</b>
2	एसोशिएसन का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :	ऋषि कॉलोनी, नियर छोदू राग घर्मशाला झज्जर, तह0 व जिला झज्जर
3	अधिकारिता:	समस्त हरियाणा प्रदेश

**4. एसोशिएसन के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्न प्रकार है:-**

1. एसोशिएसन द्वारा शूटिंग बाल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना एवं शूटिंग बाल के खिलाड़ियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करना।
2. एसोशिएसन द्वारा शूटिंग बाल प्रतियोगिताओं के लिए शूटिंग बाल मैदान बनवाना व अन्क रक्षरखाव करवाना।
3. एसोशिएसन द्वारा शूटिंग बाल के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार करना एवं लड़के एवं लड़कियों की प्रतिभा को देखते हुए उनके सुविधा उपलब्ध करवाना।
4. एसोशिएसन को संस्थाओं के लिए भवन, छात्रावास, खेल के मैदान, लाइब्रेरी तथा अस्पताल तैयार करवाना।
5. एसोशिएसन द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं को संचालित करने के लिए उपयुक्त स्थान, भूमि खरीदना, पट्टे पर लेना, किराये पर लेना या अन्य साधनों से प्राप्त करना।
6. एसोशिएसन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु धन संग्रह करना, आय व्यय करना तथा एसोशिएसन का संस्थाओं के लिए उचित प्रबंध करना।
7. गरीब दलित वर्ग के उत्थान हेतु कार्य करना, गरीब, व होनहार बच्चों को छात्रवृति दिलवाना उनके समय-2 पर हर प्रकार की सहायता देना।
8. एसोशिएसन का मुख्य उद्देश्य शहरों एवं गांवों में लड़को व लड़कियों के लिए स्कूल, जे0बी0टी0, वी0एड0 व तकनीकी शिक्षा जैसे फॉर्मैसी, नर्सिंग कोर्स, कम्प्यूटर शिक्षा तथा अन्य तकनीकी शिक्षा के शिक्षण संस्थान खोलना व उनका संचालन करना।
9. प्रतिभाशाली व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय व किसी अन्य प्रकार से सहायता देकर उत्साहित करना व उनका सम्मान करवाना।
10. शहरों एवं गांवों के सभी बच्चों व युवक-युवतियों को स्वास्थ्य के बारे में बताना और उनके लिए खेल परिसरों को खोलना।
11. समय-समय पर खेल परिसरों की देखरेख करना व उनकी जरूरतों की पूर्ति करना।
12. पर्यावरण के बारे में लोगों को सचेत करना तथा उन्हें अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना व लोगों में पौधों को वितरित करना।
13. पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तथा पिछली लापरवाही के कारण विकृत प्राकृतिक साधनों के पुनरुद्धार के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना।
14. अनुसंधान कार्य आरंभ करते हुए कुटीर तथा लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना।

*Sumil Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Pishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Pishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)



15. ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करना जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी महिलाओं के जीवन, कार्य स्थिति को सुधारने तथा लाभकर नियोजन के लिए अवसरों में मुख्य भूमिका हो।
16. समाज के अलाभ वर्ग को संगठित करना तथा सरकारी/गैर सरकारी कार्यक्रमों, विधिक उपबन्धों इत्यादि के अधीन उनके कार्यक्रम विषयों तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी के उनके स्तर को बढ़ाने के लिए तथा सहकारी तथा समूह कार्यवाई को उन्नत करते हुए उनकी सौदाकारी शक्ति को भी बढ़ाने के लिए कदम उठाना।
17. ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करना जो एसोशिएसन के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से योजना के हिस्सेदार शामिल करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले तथा महिलाओं के आय स्तरों को बढ़ाना तथा रोजगार अवसरों का विस्तार करना, प्रारम्भ गतिविधियों का लागूकरण तथा अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
18. सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने सहित पारदर्शी रीति में नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में लगाना।
19. राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा मैत्री को बढ़ावा देना।
20. खेल तथा स्वास्थ्य ध्यान गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कार्य करना।
21. धूमपान, शराब तथा मादक द्रव्य उपयोग के विरुद्ध विषेय के हेतु कार्य करना तथा लोगों का आन्दोलन प्रारम्भ करना।
22. सामाजिक बुराई जैसे कि मादा भ्रूण हत्या, दहेज, शादी आदि के सामाजिक उत्सवों पर फिजूल खर्च, निर्णय इत्यादि लेने में महिलाओं को सशक्त करने में जागरूकता सृजित करना तथा सम्बोधित करना।
23. आर्थिक तथा सामाजिक परियोजनाओं के संघटन मूल्यांकन को प्रारम्भ करना।
24. बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास करना, अच्छी पढ़ाई के साथ-2 उनके चरित्र का निर्माण करना।
25. चिकित्सा शिविरों एवं खेल आदि विविध प्रतियोगिता का आयोजन करना।
26. एसोशिएसन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाचर पत्र, पुस्तिका तथा लघु पुस्तिका प्रकाशित करवाना।
27. प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन करना, प्रशिक्षण देना एवं आंगनवाडी केन्द्र स्थापित करना।
28. विधन तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कटई, सिलाई, कढ़ाई दरी बुनाई व निवार आदि बनाने के लिए तथा घरेलू उद्योगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
29. गरीब तथा निसहाय बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रवन्ध करना, अनायालय एवं वृद्ध आश्रम चलाना।

*Sunil Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALLAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALLAR  
(Haryana)



शर्तः-

1. एसोशिएसन की आय व सन्पति का उपयोग केवल एसोशिएसन के उन्ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा जो कि एसोशिएसन के ब्रापन में दिये गए हैं और इसका कोई भी हिस्सा एसोशिएसन के सदस्यों के नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिया या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
2. एसोशिएसन का कोई भी सदस्य, एसोशिएसन के कार्यालय अथवा उस पद पर नियुक्त हो वह एसोशिएसन से कोई वेतन अथवा फ्रीस प्राप्त नहीं कर सकता, वह कोई पारितोषित ग्रहण नहीं करेगा। सदस्य केवल अपनी जेब से किए गए खर्चें (जो कि एसोशिएसन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए हों) को लेने, उधार दिये गए धन पर ब्याज प्राप्त व एसोशिएसन को दिये गए स्थान का किराया लेने का इक्दार होगा।
3. एसोशिएसन अपनी आय व लाभ को एसोशिएसन की नियमवाली के तहत अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करेगी।
4. यदि एसोशिएसन को बंद करने अथवा भंग करने के समय, एसोशिएसन के ऋण व देनदारियों के भुगतान के बाद जो भी धन संपति शेष होगी वह सदस्यों/पदाधिकारियों में वितरित नहीं की जाएगी, परंतु उस धन व संपति को किसी दूसरी संस्था अथवा एसोशिएसन को स्थानांतरित किया जायेगा जो कि उसी तरह के उद्देश्यों हेतु बनी हो। इसका निर्धारण एसोशिएसन के उन सदस्यों द्वारा किया जायेगा जो सदस्य एसोशिएसन के रद्द अथवा बंद करने के समय होंगे।
5. एसोशिएसन किसी भी राष्ट्रीय (सरकारी) या गैर-राष्ट्रीय (गैर सरकारी) बैंक में खाता खुलवाने में सक्षम होगी।

*Sunil Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fish Colony, JHALIAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fish Colony, JHALIAR  
(Haryana)



## Amateur Shooting Ball Association की आदर्श उपविधियां

कॉलेजियम के बिना एसोशिएसन (बहु उद्देशीय) के लिए आदर्श उपविधियां

1. एसोशिएसन का नाम : **Amateur Shooting Ball Association**
2. एसोशिएसन का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय: म० न० 1010/1, ऋषि कॉलोनी,  
नियर छोदू राम धर्मशाला झज्जर,  
तह० व जिला झज्जर-124103, हरियाणा।
3. एसोशिएसन समस्त हरियाणा प्रदेश में अपनी मुख्य गतिविधियां करेगी।
4. सदस्यता :-
  1. एसोशिएसन में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 250 सदस्य होंगे।
  2. पात्रता: एसोशिएसन के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति:
    1. प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए।
    2. एसोशिएसन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए।
    3. प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नहीं होने चाहिए।
    4. दिवालिया तथा विकृत चिंत नहीं होना चाहिए।
    5. एक वर्ष या अधिक के कारवास वाले नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध का सिद्धोप नहीं होना चाहिए।
  3. सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग: एसोशिएसन निम्न अनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गों की होगी।
    1. संस्थापक सदस्य - सदस्य जो एसोशिएसन के रजिस्ट्रीकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा एसोशिएसन के अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। संस्थापक सदस्य एसोशिएसन के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाएंगे तथा यदि एसोशिएसन के सदस्यों की कुल संख्या 1000 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलेजियम के सदस्य होने के बाते विशेषधिकार रखेंगे।

*Sunil Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Flashi Colony, JHALJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Flashi Colony, JHALJAR  
(Haryana)




2. आजीवन सदस्य - किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए एसोशिएसन के सदस्य के रूप में बना रहेगा। आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 31 से अधिक नहीं होगी।
3. साधारण सदस्य - एसोशिएसन के कुल 208 साधारण सदस्य होंगे जो उनकी वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में ब होने तक केवल अपनी सदस्यता का निरन्तर उपभोग करेंगे। साधारण सदस्य को पदावधि सदस्य के रूप में अर्थात् दो से पांच वर्ष 'वर्षों', जैसी स्थिति हो, की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि को पूरा होने पर एसोशिएसन के सदस्य के रूप में समाप्त जब तक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इस नवीकृत नहीं किया जाता है।
4. अवैतनिक सदस्य - शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संख्या एसोशिएसन के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसमें एसोशिएसन के लिए उत्कृष्ट मैरिट की सेवाएँ अर्पित की है या जो एसोशिएसन के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है, को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता या अंशदान फीस के भुगतान के दिनांक शामिल किया जा सकता है। ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। अवैतनिक सदस्य वैद्यक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में सहायक होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।
4. सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान:
  1. एसोशिएसन की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगा:

जो एसोशिएसन द्वारा अपनी उपविधियों में निर्णत किए जाए			
क्रम संख्या	सदस्य की किस्म	प्रवेश फीस	वार्षिक अंशदान
1	संस्थापक सदस्य	1100/- रु0	शून्य
2	आजीवन सदस्य	500/- रु0	शून्य
3	साधारण सदस्य	100/- रु0	100/- रु0
4	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

*Sunilkumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJARI  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJARI  
(Haryana)



2. सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा, जो ऐसे वर्ष के जून के 30वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि '30 जून' के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए एसोशिएसन के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नहीं होंगे।
3. वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रद्द किया जा सकता है। तथापि, वह बाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा।
5. प्रवेश प्रक्रिया "अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए":
  1. एसोशिएसन के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समस समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णित किया जाएगा।
  2. एसोशिएसन के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्ररूप में, तथा विधिवत भरा समर्पित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।
  3. सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।
  4. शासकीय निकाय आवेदन के स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
  5. शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा एसोशिएसन रजिस्ट्रेशन तथा विनियम नियम, 2012 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे एसोशिएसन का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
6. प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप शामिल प्रत्येक सदस्य को एसोशिएसन के व्यक्तिगत सदस्य तथा महा सचिव द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त ब्यौरे तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

*Sumit Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Pali Colony, JHAJJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Pali Colony, JHAJJAR  
(Haryana)



7. सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं :-

1. एसोशिएशन के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय समय पर संशोधित एसोशिएशन के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे।
  2. अवैतनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को एसोशिएशन के निवारण में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य एसोशिएशन के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में दूककर्ता नहीं है।
  3. एसोशिएशन के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को एसोशिएशन की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैच की कार्यवाही के कार्यवृत्त वाली पुस्तकों शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
  4. प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में एसोशिएशन को सूचित करेगा, जो एसोशिएशन के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत् अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद एसोशिएशन ऐसे सदस्य का नया पहचान पत्र जारी करेगी।
8. सदस्य की समाप्ति: सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में एसोशिएशन के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा:
1. अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने।
  2. एसोशिएशन की लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर।
  3. ऐसे सदस्य के एसोशिएशन की विधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने पर।
  4. एसोशिएशन के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर।
  5. अवैतनिक सदस्य एसोशिएशन के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित्त संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है।

5. सामान्य निकाय :

1. सदस्य के रूप शामिल प्रत्येक व्यक्ति एसोशिएशन के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा एसोशिएशन के शासकीय निकाय के निवारण के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान एसोशिएशन के किसी देयों के भुगतान के बकायों में नहीं रहता है।
2. प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

*Sunil Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)

*Jai Perka*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)



6. सामान्य निकाय की बैठकें :-

1. एसोशिएसन के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी। तथापि, एसोशिएसन के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसाकि वार्षिक सामान्य बैठक 'ए.जी.एम.' यथा अपेक्षित एसोशिएसन के किसी अन्य कारवार के संव्यवहार के अतिरिक्त एसोशिएसन के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।
2. एसोशिएसन का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर एसोशिएसन के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।
3. सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारवार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृथक्कित की जाएगी।
4. सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा 'कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक' यदि सहमत हों, तब नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।
5. सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यक्षीय मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अध्यक्षीय, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थिति स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि एसोशिएसन के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।
6. सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत्त बैठक पुस्तक 'बांधी गई या खुल्ले पन्नों में' में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत्त बैठक के अध्यक्ष तथा एसोशिएसन के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

*Suilkandh*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALUAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALUAR  
(Haryana)



7. सामान्य निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य:-
1. एसोशिएसन को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारणा करने तथा पूरा करने में गाइड करना।
  2. पालिसा मामलों का निर्णय करना जैसे कि एसोशिएसन के नाम का परिवर्तन, एसोशिएसन के संगम ब्रापन तथा उपविधियों में संशोधन, एसोशिएसन के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, एसोशिएसन इत्यादि की अवल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा एसोशिएसन रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम तथा नियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हो।
  3. शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना।
  4. शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्रि के विरुद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

8. शासकीय निकाय:

1. संयोजन एसोशिएसन का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 05 पदाधिकारियों का होगा:

1. प्रधान
2. उप प्रधान
3. सचिव/महासचिव
4. संयुक्त सचिव
5. कैशियर

2. शासकीय निकाय का निर्वाचन:

1. शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।
2. शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि, समय तथा सीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा। निर्वाचन ऐसी इच्छा करें।

*Sumilkumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)



3. मत मे लिए हकदार एसोशिएसन के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का एसोशिएसन के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णय किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता का घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।
  4. रिटर्निंग अधिकारी एसोशिएसन के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जंहा कहीं विवाद हो, एसोशिएसन द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत झलने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
  5. मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा एसोशिएसन का शासकीय निकाय गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।
  6. एसोशिएसन के पदाधिकारी एसोशिएसन की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे।
3. शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरना:-  
शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति एसोशिएसन की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

*Sumit Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJIAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJIAR  
(Haryana)




4. शासकीय निकाय की बैठक:-

1. शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होगी।
  2. प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि शासकीय निकाय इसके सदस्यों से कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।
  3. शासकीय निकाय की बैठकों गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यक्षीन, शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है, तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। जिस के लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यक्षीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।
  4. शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत्त बैठक के अध्यक्ष तथा एसोशिएसन के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।
  5. शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त शासकीय निकाय की पारवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।
5. शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :-
1. शासकीय निकाय एसोशिएसन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा एसोशिएसन के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए एसोशिएसन की विधियों तथा परिसम्पत्तियों के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा।
  2. शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से विधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अवल सम्पत्ति खरीदने के लिए सहमत होगा।

*Sumil Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALUAR  
(Haryana)

*Jai Pankaj*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALUAR  
(Haryana)



3. शासकीय निकाय एसोशिएसन से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पतियों तथा चल परिसम्पतियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह एसोशिएसन के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन से अध्यक्षीन उचित समझे।
  4. शासकीय निकाय रीति जो वह एसोशिएसन के सर्वोत्तम हित में उचित समझे, में निधियां विदेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में एसोशिएसन की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या दण्डक रखने के लिए सक्षम होगा।
  5. ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सोचे जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्टाई या तदर्थ एसोशिएसनयां गठित करना।
  6. सीविनहीन रीति में लिपिकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए एसोशिएसन के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना।
- वाहरी स्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात् एसोशिएसन के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां।
6. शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :-

1. प्रधान :

1. सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना।
2. सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय समय पर सामान्य निकाय तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।
3. किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात करना जो एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है।
4. एसोशिएसन/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना।
5. हरियाणा एसोशिएसन रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करना।
6. एसोशिएसन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना।

2. उप-प्रधान:

1. प्रधान की उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।
2. प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

*Sunilkumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHAJJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHAJJAR  
(Haryana)



3. सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।
3. महा सचिव/सचिव:
  1. एसोशिएसन के सभी कार्यों को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रदन्ध करना तथा एसोशिएसन के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाए।
  2. शासकीय निकाय के सम्मुख एसोशिएसन की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधकार के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना।
  3. प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामिल करना।
  4. सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठकों करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना।
  5. एसोशिएसन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए एसोशिएसन के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना।
  6. एसोशिएसन/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परीक्षण करना।
  7. एसोशिएसन के सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करने में तथा एसोशिएसन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना।
  8. जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा एसोशिएसन रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाए।
  9. एसोशिएसन की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षा होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार, जहाँ तक अपेक्षित हो, उसे लगाना।

*Sunilkumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Flehi Colony, JHALJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Flehi Colony, JHALJAR  
(Haryana)



10. एसोशिएसन/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखें तथा अनुरक्षित किए जा रहे हैं।
  11. निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।
  12. एसोशिएसन के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन, अमले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार एसोशिएसन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजित एसोशिएसन के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नहीं किया जाता है।
4. संयुक्त सचिव:
1. एसोशिएसन के महा सचिव/सचिव की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों को करने में सहायता करना।
  2. शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत सीमा तक उसकी अनुपस्थिति में एसोशिएसन के सामान्य सचिव/सचिव के कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना।
  3. ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों की देखभाल करना तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय समय पर एसोशिएसन के शासकीय निकाय द्वारा सौंपे तथा प्रत्यायोजित किए जाए।
5. कैशियर
1. एसोशिएसन के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा एसोशिएसन द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित तथा परिसम्पत्ति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चों के रिकार्ड रखना।

*Sunilkumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fish Colony, JHALJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fish Colony, JHALJAR  
(Haryana)



2. प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित एसोशिएसन के लेखे प्राप्त करना।
3. वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व एसोशिएसन के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना।
4. एसोशिएसन की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों, बैंक पास बुक तथा बैंक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।
7. शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति-शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/ कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे:
  1. उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर।
  2. यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड '8' के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है।
  3. यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटया जाता है।
8. सोसायटी के नियोजन से अपवर्जन:
  1. सोसायटी का कोई भी सदस्य के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा।
  2. शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों को कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान एसोशिएसन के कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा।
  3. शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि एसोशिएसन के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।
9. एसोशिएसन के संजम झापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन :  
एसोशिएसन के संजम झापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, संजामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महा सचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर की जायेगी जो हरियाणा एसोशिएसन रजिस्ट्रार तथा विनियमन अधिनियम, 2010 के अर्धीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

*Smilkumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)

*Tripathi*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)



10. एसोशिएसन की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन :-

1. एसोशिएसन की आय के स्रोतों में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के भेदे प्राप्तियां शामिल होंगी। एसोशिएसन इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त तपु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन, की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।
2. शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर एसोशिएसन के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।
3. एसोशिएसन के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाएंगे जो समय समय पर शासकीय निर्णीत किया जाए।
4. सभी परिसम्पति तथा निधियों एसोशिएसन से सम्बन्धित होंगी तथा एसोशिएसन में निहित होंगी।
5. एसोशिएसन की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएंगे 'अर्थात् डी डी/पे ऑर्डर/बैंक/बैंक ट्रान्सफर/आर टी जी एस' जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल है। तथापि, शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद की जा सकती है।

11. एसोशिएसन के लेखे:

1. एसोशिएसन का खर्चांची आय कर का नून तथा/ या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात् रोकड बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें एसोशिएसन द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा एसोशिएसन की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।
2. एसोशिएसन की लेखा पुस्तकें एसोशिएसन के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तब किसी सदस्य द्वारा करवार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

*Sunil Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHALJAR  
(Haryana)



3. एसोशिएसन के वार्षिक लेखे एसोशिएसन के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।
  4. शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एसोशिएसन के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा।
12. सामान्य मुद्रा:  
एसोशिएसन के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महा सचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी।
13. एसोशिएसन का सम्मेलन:  
एसोशिएसन स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य एसोशिएसन में सम्मेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में सम्मेलित करने के लिए किसी अन्य एसोशिएसन को अनुज्ञात कर सकती है।
14. एसोशिएसन का विघटन:  
1. एसोशिएसन अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वयं का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि एसोशिएसन की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।  
2. एसोशिएसन की विघटन की घटना में, एसोशिएसन की कोई भी परिसम्पति एसोशिएसन के सदस्यों को मिल जाएगी या में वितरित कर दी जाएगी।  
3. इसकी परिसम्पति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोजन की जाएगी तथा छोड़ी गई सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य एसोशिएसन को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोजन के लिए जिला क्लैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी।

*Sunil Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHAJJAR  
(Haryana)

*Bal Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Fishi Colony, JHAJJAR  
(Haryana)



ऐशोशिएसन के सभी सदस्यों के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उप विधियां सौंपी जाती हैं, वे निम्न अनुसार हैं :

क्रम-संख्या	नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	पता	आयु	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	नरेश कुमार	मुख्त्यार सिंह	म0न0 427, सैक्टर 9 गुरुग्राम, तह0 व जिला गुरुग्राम	51	विजनैस	H. Kalra
2	अमित जून	सुन्दर लाल जून	म0न0 138, सैक्टर 37 एच. एल. शहर बहादुरगढ़, जिला झज्जर	43	विजनैस	Pit
3	जय प्रकाश	वीर सिंह	म0न0 1010/1, ऋषि कॉलोनी झज्जर, जिला झज्जर	50	कृषि	Jai Parkash
4	योगेश कुमार	महेन्द्र सिंह	म0न0 382, गांव व डा0 सिलानी पाना जालिम, तह0 व जिला झज्जर	42	कृषि	Y. Mahan
5	सुनील कुमार	दया किशन	लाल सिंह कॉलोनी, रामलीला ग्राऊंड झज्जर, जिला झज्जर	48	डॉक्टर	Sunil Kumar
6	संजीव कुमार	रत्न सिंह	गांव व डा0 भागवी, तह0 व जिला चरखी दादरी	39	कृषि	Sanjiv Kumar
7	सुरेश कुमार	हंसराज	गांव व डा0 रावत खेड़ा, तह0 व जिला हिसार	42	कृषि	Suresh Kumar
8	कृष्ण कुमार	ईश्वर सिंह	गांव व डा0 मिरान, तह0 तोशाम जिला भिवानी	40	कृषि	Krishna Kumar
9	अनिल कुमार	लाल सिंह	गांव व डा0 मौहदीनपुर, तह0 व जिला रेवाड़ी	44	कृषि	Anil Kumar
10	प्रदीप कुमार	अमर सिंह	गांव व डा0 बंड, तह0 व जिला फतेहाबाद	44	कृषि	Pradiip Kumar
11	अनिल बाल्यान	बलराम सिंह	गली न0 7, शक्ति नगर कुरुक्षेत्र, जिला कुरुक्षेत्र	42	कृषि	Anil Balyan

*Sunilkumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Rishi Colony, JHAJJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Rishi Colony, JHAJJAR  
(Haryana)



*Attested*  
*Sunita*  
**SUNITA**  
Lecturer H.E.S.-II  
Deptt. of Sch. Edu. Hry.

*Attested*  
*Aditya*  
Sub Divisional Engineer  
H.S.A.M. Board  
JHAJJAR

ऐशोशिएसन के सभी सदस्यों ने आम सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया जो इस प्रकार है:-:

क्रम सं०	नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	पता	पद	हस्ताक्षर
1	नरेश कुमार	मुख्त्यार सिंह	म०न० 427, सैक्टर 9 गुरुग्राम, तह० व जिला गुरुग्राम	प्रधान	M.C. Gupta
2	अमित जून	सुन्दर लाल जून	म०न० 138, सैक्टर 37 एच. एल. शहर बहादुरगढ़, जिला झज्जर	उप-प्रधान	A.T.
3	जय प्रकाश	वीर सिंह	म०न० 1010/1, ऋषि कॉलोनी झज्जर, जिला झज्जर	सचिव/ महासचिव	Jai Parkash
4	योगेश कुमार	महेन्द्र सिंह	म०न० 382, गांव व डा० सिलानी पाना जालिम, तह० व जिला झज्जर	संयुक्त-सचिव	V. Lal
5	सुनील कुमार	दया किशन	लाल सिंह कॉलोनी, रामलीला ग्राउंड झज्जर, जिला झज्जर	कैशियर	Sunil Kumar

*Sunil Kumar*  
Cashier,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Rishi Colony, JHAJJAR  
(Haryana)

*Jai Parkash*  
Secretary,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Rishi Colony, JHAJJAR  
(Haryana)

*M.C. Gupta*  
President,  
Amateur Shooting Ball Association  
Ward No. 1, Rishi Colony, JHAJJAR  
(Haryana)

*Attested*  
*Sunita*  
**SUNITA**  
Lecturer H.E.S.-II  
Deptt. of Sch. Edu. Hry.

*Attested*  
*W. S. Singh*  
Sub Divisional Engineer  
H.S.A.M. Board  
JHAJJAR

